संख्या- 104 /2023/ 774 /चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 14 मार्च, 2023**

विषय:- आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत 'हर दिन ध्यान हर दिल ध्यान' लक्ष्य के साथ योग महोत्सव के आयोजन हेतु प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या- 4306/सं0नि0-15(102)/2022-23 दिनांक 12 मार्च, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत 'हर दिन ध्यान हर दिल ध्यान' लक्ष्य के साथ योग महोत्सव के आयोजन हेतु रू0 3.65 लाख (रू0 तीन लाख पैंसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि आहरित कर लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/ पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(4) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि नही किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-12-आजादी का अमृत महोत्सव-42-अन्य व्यय मद से वहन की जायेगी।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या 104 /2023/ 774 (1) /चार-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।